आरक्षण एवं पिछड़ा वर्ग

निर्मल कुमार

शोध सार

भारत की परंपरागत जाति संरचना में पिछड़े वर्गों की जातियों को भी उनके अधिकारों से वंचित करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही शोषण किया जाता रहा है। स्वतंत्रता बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षाएँ मिली, परन्तु शुद्र वर्ण या इन पिछड़े वर्गोंका संविध ाान में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया। फलस्वरूप पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी। स्वतंत्रता बाद पेरियार ई0 की0 रामास्वामी के नेतृत्व में व्यापक आन्दोलन, सन् 1950 ई0 को संविधान का पहला संशोधान, काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति, बी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़े वर्गों का अर्थ एवं चयन की कसौटियों का निर्धारण तथा उनके विकास के उपायों के सुझाव का प्रस्तुतिकरण, मंडल आयोग की संस्तुती को स्वीकार करने की श्री वी0 पी0 सिंह की साहसिक घोषणा, आन्दोलनों और हिंसात्मक प्रदर्शनों तथा आत्मदाह की घटनाएँ, सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, तदुपरान्त श्री प्रसाद समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने 08 सितम्बर, 1993 ई0 से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति को लागू कर दिया।

भारतीय समाज में पिछ़डे वर्गों की समस्याएँ भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह काफी गंभीर रही है। भारत की परम्परागत जाति संरचना में पिछड़े वर्गों से सम्बंधित जातियों को भी विभिन्न अधिकारों से वंचित करके उनका तरह-तरह से शोषण किया जाता रहा है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अनेक संवैधानिक सुरक्षाएँ मिल गयी, लेकिन उन जातियों को कोई लाभ नहीं मिल सका, जिन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन शुद्र वर्ण के अन्तर्गत निम्न स्थिति वाली जो जातियाँ शेष रह गयी , उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 340 (**i**) में केवल इतना ही कहा गया कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा किसी ऐसे आयोग के नियुक्त कर सकते है, जो भारत में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन दशाओं को ज्ञात करें जिनमें उन्हें कार्य करना पड़ता है । राष्ट्रपति ऐसे उपायों की भी संस्तुति दें, जिन्हें सरकार द्वारा अपना कर इनकी दशाओं में सुधार किया जा सके। संविधान में पिछ़ड़े वर्गों का कोई निश्चित अर्थ स्पष्ट न होने के कारण एक लम्बे समय तक पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जातियों,जनजातियों, छोटे किसानों, विकलांग वर्गों और यहाँ तक कि स्त्रियों को भी सम्मिलित किया जाता रहा। अनेक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उन लोगों से मानने लगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। जिसके फलस्वरूप पिछड़े वर्गों के बारे में एक भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी।

शोध छात्र, शिक्षा विभाग, ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय दरभंगा दरभंगा

पिछड़ी जातियों को एक अलग श्रेणी में मान्यता देकर उन्हें आरक्षण की सुविधाएँ देने के लिए पहला आन्दोलन पेरियार ई0 की0 रामास्वामी के नेतृत्व में की गई। उन्होंने इन जातियों को संगठित कर द्रविड-कड़गम पार्टी की स्थापना करके एक ओर संगठित रूप से ब्राह्मण विरोधी आंदोलन आरम्भ किया तो दुसरी ओर राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें आरक्षण देने पर बल दिया। उस समय मद्रास में ब्राह्मणों की जनसंख्या केवल तीन प्रतिशत थी, लेकिन मद्रास की सम्पूर्ण राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। इसके बाद भी तेजी से फैलते हुए आन्दोलन के कारण जब राज्य में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 340 (i) में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस निर्णय के विरूद्व मद्रास में 1950 ई0 में इतना व्यापक आन्दोलन हुआ कि सरकार को दो महीना के अन्दर ही संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा 16 (iv) को जोड़कर यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होगा कि उसकी राय में राज्य के जिस पिछड़े वर्ग को वहाँ की सेवाओं में समुचित प्रतिनिधि त्व प्राप्त न हो, उसके पक्ष में नियुक्ति सम्बन्धी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप सबसे पहले मद्रास सरकार ने सन् 1951 ई0 में राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना शुरू कर दिया। यहीं से यह आवश्यक समझा जाने लगा कि एक आयोग को नियुक्त करके ऐसे मानदण्ड अथवा कसौटियाँ निर्धारित की जायें, जिनके आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 340 **(i)** के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 29 जनवरी, सन् 1953 ई0 के अनुसार काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। इसका काम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की कसौटियाँ निर्धारित करना तथा ऐसे वर्गों की सूची तैयार करना, पिछड़े वर्गों की विभिन्न दशाओं को ज्ञात करना, ऐसी संस्तुतियाँ देना जिससे सरकार द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके, ऐसे विषय प्रस्तावित करना जिनके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी दुसरे आयोग को निर्देश दिये जा सके तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

इस आयोग के सदस्यों में पिछड़ेपन की कसौटियों को लेकर काफी मतभेद था, इसके बाद भी आयोग की रिपोर्ट में जाति को ही पिछड़ेपन की वास्तविक कसौटी माना गया। यह भी महसूस किया गया कि आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में हिन्दुओं के अतिरिक्त दूसरे धर्मों से सम्बन्धित निम्न जातियों को सम्मिलित न करना उचित नही है। इसके फलस्वरूप सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नही किया। यहीं से भारत में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक नयी राजनीति का आरम्भ हो गया।

सन् 1977 में जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तब यह सोचा गया कि कांग्रेस को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से मिलने वाले समर्थन का सामना करने के लिए यह जरूरी है कि इनसे भी अधिक जनसंख्या वाले पिछड़े वर्गों को सेवाओं में आरक्षण दिया जाये। इससे जनता दल के प्रभाव को स्थायी रूप मिल सकता है। फलस्वरूप एक नये पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति को आवश्यक समझा जाने लगा। राष्ट्रपति के एक अन्य आदेश के आधार पर 01 जनवरी, 1979 ई0 को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई। इस

आयोग के अध्यक्ष बी0 पी0 मंडल थे। अत: इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है।

आयोग ने दिसम्बर 1980 ई0 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यद्यपि इस रिपोर्ट को संसद के सामने अप्रैल 1982 ई0 में प्रस्तुत किया गया। आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक क्षेत्र में 11 कसौटियों का उपयोग किया।

सामाजिक रूप से पिछड़ें वर्ग है-

1. जिन्हे दुसरे व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ समझा जाता हैं।
2. जो वर्ग अपनी आजीविका के लिए मुख्यत: शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं
3. जिनमें 17 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़कियों का कम आयु में ही विवाह होने का अधिक प्रचलन है।
4. जिनमें राज्य के औसत की तुलना में स्त्रियों द्वारा दो प्रतिशत अधिक शारीरिक श्रम किया जाता है।

शैक्षणिक रूप से उन्हें पिछड़ा वर्ग माना गया

1. जिनमें 5 से 15 वर्ष की आयु तक कभी भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, राज्य के औसत प्रतिशत से 25 प्रतिशत अधिक हो,जिनमें इस आयु के बच्चों द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक हो, तथा जिनमें 10 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत, राज्य के औसत से 25 प्रतिशत कम हो।

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जायेगा

1. जिनमें परिवार की सम्पति का औसत मूल्य, राज्य के औसत से 25 प्रतिशत कम हो,
2. जिनमें कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक हो,
3. जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों को पीने का पानी प्राप्त करने के लिए आधा किलोमीटर से अधिक दुर जाना पड़ता हो, तथा
4. जिनमें ऋण लेनेवाले परिवारों की संख्या, राज्य की औसत से 25 प्रतिशत अधिक हो।

संक्षेप में, सामाजिक पिछड़ापन, शारीरिक श्रम पर निर्भरता, बाल विवाह का प्रचलन, स्त्रियों द्वारा श्रम, स्कूल न जाने की प्रवृति, बीच में ही शिक्षा छोड़ देने की आदत, शिक्षा का निम्न स्तर, परिवार की सम्पति, कच्चे मकान, पीने के पानी की कमी तथा ऋण ग्रस्तता को अन्य पिछड़े वर्गों के चयन की कसौटियाँ माना गया।

मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया, जिनमें से मुख्य सुझाव इस प्रकार है -

1. सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों मे 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाये।
2. पदोन्नति के लिए 27 प्रतिशत के सिद्वान्त को लागू किया जाये।
3. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, प्रावैधिक और व्यावसायिक श्रेणी की सभी संस्थाओं में 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाये।
4. पिछड़े वर्गों मे साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समयबद्व योजना लागू की जाये।
5. इन वर्गों में अपने परम्परागत व्यवसाय से संबंधित जो लोग कुटीर उधोग स्थापित करना चाहते है, उन्हें तकनी कि सहयोग और आर्थिक सहयोग दी जाये।

6. जिस तरह अतिरिक्त भूमि का वितरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में किया जाता है, उसी तरह पिछड़े वर्गों के भूमिहीन श्रमिकों में भी ऐसी भूमि का वितरण किया जाना चाहिए।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार। सरकार एक ऐसे राजनीतिक अवसर की तलाश में रही जिससे इस रिपोर्ट से पैदा होने वाले आन्दोलनों को शांत किया जा सके। 01 दिसम्बर, 1989 ई0 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तथा बी0 पी0 सिंह ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। अपने उपर निरन्तर बढ़ते हुए दबाव के कारण 07 अगस्त, 1990 को श्री वी0 पी0 सिंह ने यह घोषणा की, कि मंडल आयोग की संस्तुति को स्वीकार करते हुए सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी राजकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। इस घोषणा के साथ ही पूरे देश में इसका व्यापक विरोध किया जाने लगा। आन्दोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों के साथ ही आत्महत्या और आत्मदाह की घटनाएँ भी हुई। अनेक संगठनों की ओर से राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर स्थगन आदेश प्राप्त किये गये। जून 1991 ई0 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गयी, केन्द्र सरकार ने तब तक पिछड़े वर्गों के बारे में कोई निर्णय लेने से इन्कार कर दिया, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय 16 नवम्बर 1992 ई0 को दिया। अपने निर्णय में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना स्वीकार किया। पिछड़ेपन के मानदंड के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आधार माना गया, आर्थिक पिछड़ेपन को नही। मार्च 1993 ई0 को प्रसाद समिति की नियुक्ति की। इस समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने 08 सितम्बर, 1993 से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति को लागू कर दिया।

निष्कर्षः

परम्परागत जाति संरचना के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही पिछड़ा वर्ग भी वंचित एवं शोषित रहा है। शोषण के विरूद्ध एवं विकास के अवसर हेतु संघर्ष करना न्यायोचित है। बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। लम्बे आन्दोलनों तथा कड़े संघर्षों का प्रतिफल ही वर्तमान आरक्षण है। समतामूलक समरस समाज तथा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अवसरों की समानता हेतु संवैधानिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. निर्मल कुमार, 2012, पी-एच0 डी0 शोधा -प्रबन्ध (शिक्षा), माध्यमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षण तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन, ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय दरभंगा, पृष्ठ-123 से 132 ।
2. अग्रवाल, जी0 के0 2008, समाजज़ास्त्र,एस0 बी0 पी0 डी0. पब्लिकेशन्स, आगरा। पृष्ठ-101,107
3. मो0 नूर एवं लवानिया, डा0 एम0 एम0 2008, भारतीय समाज विस्तृत अध्ययन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ - 476, 477 ।
4. Information based on India, 2003, P.P.& 257 to 259.

♦ ♦ ♦